पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

# अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016

+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 3 फ़रवरी 2024

**-:प्रेस विज्ञप्ति:-**

**अभाविप ने यूजीसी से फेलोशिप क्लेम करने की तिथि आगे करने की मांग की, दिया ज्ञापन।**

**लंबित बकाया फेलोशिप, एरियर्स का सुगम और कुशल वितरण सुनिश्चित करे यूजीसी : अभाविप**

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने यूजीसी चेयरमैन को ज्ञापन देकर माँग की है कि पोस्ट-डॉक्टोरल/डॉक्टोरल छात्रों के लंबित फेलोशिप बकाया (एरियर) का उचित और कुशल वितरण सुनिश्चित किया जाये। इस संबध में विश्वविद्यालयों में छात्रों को आने वाली समस्याओं से भी यूजीसी को अवगत कराया गया है एवं विश्वविद्यालयों में भी यूजीसी के माध्यम से फेलोशिप दावा (क्लेम) और वितरण की पूरी प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित बनाने की मांग भी अभाविप ने की है।

उल्लेखनीय है की पिछले वर्ष यूजीसी ने जेआरएफ/एसआरएफ एवं पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की राशि में बढ़ोतरी की थी, जो पिछले वर्ष जनवरी 2023 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी का बकाया (एरियर) क्लेम के संबंध में दिशा-निर्देश यूजीसी द्वारा 18 जनवरी 2024 में जारी किया गया है, जिसको पूर्ण करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी तक ही है। प्रतिमाह अपनी फेलोशिप क्लेम करने हेतु भी छात्रों को प्रतिमाह 1 से 8 तारीख का ही समय मिलता है, जबकि पूर्व में यह माह की एक से 15 तारीख तक का समय मिलता था। विश्वविद्यालयों में क्लेम हेतु प्रक्रिया कई चरणों में होने के कारण छात्रों को पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अधिक समय लगता है। बकाया राशि का दावा करने के लिए 8 फरवरी 2024 की निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों और सीमाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस हेतु ही अभाविप ने संबंधित बकाया हेतु छात्रों को अधिक समय देने हेतु माँग की है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि छात्रवृत्ति फेलोशिप प्रबंधन पोर्टल को विश्वविद्यालय स्तर पर खुले रखने की समय-सीमा बढ़ाई जाए, जिससे आवेदन के लिए अधिक विस्तारित समय सीमा प्रदान की जा सके। विश्वविद्यालयों को भी छात्रों की शोधवृत्ति के आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने की आवश्यकता है जैसे स्टॉफ में बढ़ोतरी कर विश्वविद्यालय स्तर पर तय समय-सीमा में नोडल ऑफिसर द्वारा फॉर्म वैरिफाई किए जाएं। अभाविप छात्र समुदाय के सर्वोत्तम हित में लंबित फेलोशिप के सुगम एवं कुशल वितरण की माँग करती है।

---

**(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गयी है।)**